प्रेस नोट
दिनांक 13.09.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा गणेश प्रतिमा विर्सजन एवं जुम्में की नमाज के दृष्टिगत शहर क्षेत्र में भ्रमण कर कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति का लिया गया जायजा –

गोण्डा। आज दिनांक 13.09.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा गणेश प्रतिमा विर्सजन एवं जुम्में की नमाज के दृष्टिगत शहर क्षेत्र में भ्रमण कर कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। महोदय द्वारा ड्यूटी पर लगे जवानों के पास मौजूद दंगा नियंत्रण उपकरणों को चेक किया गया तथा चिन्हित हॉटस्पॉट एवं शोभा यात्रा/जुलूस में लगे जवानों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए। महोदय द्वारा शहर क्षेत्र में भ्रमण कर गणेश प्रतिमा विर्सजन के आयोजको/संचालकों/प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों, श्रद्धालुओं एवं मौलवी व धर्मगुरूओं से संवाद स्थापित कर गणेश प्रतिमा विर्सजन एवं जुम्में की नमाज को शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल सम्पन्न कराने की अपील की गयी साथ ही अवगत कराया गया कि शोभायात्रा/जुलूस के दृष्टिगत गोण्डा पुलिस द्वारा आवश्यक पुलिस प्रबन्ध किए गए है। शोभायात्रा/जुलूस में पर्याप्त संख्या में पुरूष/महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगायी गयी है। गणेश प्रतिमा विसर्जन के जुलूसों में बाक्स फार्मेट में पुलिस प्रबन्ध किए गए है। संवेदनशील स्थलों के जुलूस के मार्गो पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ पीएसी बल को भी लगाया गया है। शोभायात्रा/जुलूस के दौरान सुरक्षा के दृष्टिगत समुचित वीडियोग्राफी करायी जा रही है। समस्त कार्यक्रम स्थलों के आसपास तथा जुलूसों के मार्ग पर स्थित सीसीटीवी कैमरों को सक्रिय कर दिया गया है। महत्वपूर्ण संवेदनशील स्थलों पर ड्रोन कैमरों से भी निगरानी करवायी जा रही है। प्रतिमा विसर्जन के समय नदियों/सरोवरों में जल पुलिस का समुचित प्रबन्ध किया गया है। स्थानीय अभिसूचना इकाई एवं अन्य अभिसूचना तंत्रों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले विभिन्न असामाजिक, अवांछनीय एवं साम्प्रदायिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस सोशल मीडिया सेल द्वारा भी लगातार सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो, ट्विटर, फेसबुक व व्हाट्सएप ग्रुपों सहित अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफार्मो पर निरंतर निगरानी की जा रही है। किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना सोशल प्लेटफार्म पर यदि किसी के द्वारा फैलायी गयी तो उसके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 13.09.2024, मानिटरिंग सेल
जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से दहेज मृत्यु के आरोपी अभियुक्त को हुई 10 वर्ष का सश्रम कारावास व रूपये 25,000/- अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना मनकापुर क्षेत्र के अन्तर्गत वादिनी द्वारा थाना मनकापुर को सूचना दी गई कि दिनाकं 08.11.2020 को उनकी पुत्री के ससुरालजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की माँग को लेकर उनकी पुत्री की हत्या कर दी गयी है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 410/2020, धारा 498ए, 304बी भादवि व ¾ डी0पी0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था । विवेचना के दौरान दोषी पाये गये आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री रामभवन द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 26.01.2021 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्रीमती नम्रता अग्रवाल द्वारा थाना मनकापुर पुलिस, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक, कोर्ट मोहर्रिर व थाना मनकापुर के पैरोकार हे0का0 मधुसूदन सिंह की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक- 13.09.2024 को दोषी अभियुक्त –ब्यास मुनी निषाद पुत्र रामअवध निवासी ग्राम अवधूपुर लिदेहना ग्रण्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा को 10 वर्षो का सश्रम कारावास व 25,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त का नाम पता-

01. ब्यास मुनी निषाद पुत्र रामअवध निवासी ग्राम अवधूपुर लिदेहना ग्रण्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0- 410/2020, धारा 498ए, 304बी भादवि व ¾ डी0पी0 एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा.

मीडिया सेल, गोण्डा।